मोनेटरी एंड क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिव्यू

खण्ड XX अंक 1 अप्रैल 2024

एमसीआईआर

विषय-वस्तु

खंड	पृष्ठ
I. मौद्रिक नीति	1-3
II. विनियमन	3
III. भुगतान और निपटान प्रणाली	4
IV. पर्यवेक्षण	4
V. मुद्रा जारीकर्ता	4
VI. प्रकाशन	4
VII. जारी आंकड़े	4

संपादक की कलम से

मोनेटरी एवं क्रेडिट इंफर्मेशन रिव्यू (एमसीआईआर) के एक और संस्करण में आपका स्वागत है। रिज़र्व बैंक की यह मासिक आवधिक पत्रिका धन और ऋण की दुनिया में रिज़र्व बैंक द्वारा अप्रैल 2024 माह के दौरान किए गए नए विकास और महत्वपूर्ण नीतिगत पहलुओं के साथ जुड़े रहने में आपकी मदद करती है। एमसीआईआर को https://mcir.rbi.org.in पर और साथ ही क्यूआर कोड को स्कैन करके देखा जा सकता है।

संवाद के इस माध्यम से सूचनाएं साझा करने, शिक्षित करने और आप सबसे जुड़े रहने के साथ हमारा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना भी है कि प्रसारित की जा रही सूचनाओं में तथ्यात्मक सटीकता एवं संगति रहे।

हम आपकी प्रतिक्रिया का mcir@rbi.org.in पर स्वागत करते हैं।

योगेश दयाल
संपादक

I. मौद्रिक नीति

5 अप्रैल 2024 को गवर्नर का मौद्रिक नीति वक्तव्य

श्री शक्तिकान्त दास, गवर्नर ने 5 अप्रैल 2024 को मौद्रिक नीति वक्तव्य दिया। बैंक की नौ दशक की यात्रा के बारे में बोलते हुए, गवर्नर ने कहा कि भारतीय वित्तीय प्रणाली और अर्थव्यवस्था को स्थिरता की ओर ले जाने में, अपनी विकासात्मक और विनियामक भूमिकाओं को मिलाकर, बैंक हमेशा सबसे आगे रहा। ऐसा करते हुए इसने अपनी जिम्मेदारियों का ईमानदारी और व्यावसायिकता के साथ निर्वहन किया है।

मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) के निर्णय और विचार-विमर्श

एमपीसी ने निभाव को वापस लेने पर ध्यान केंद्रित करते हुए, नीतिगत रेपो दर को 6.50 प्रतिशत पर बनाए रखने का निर्णय लिया ताकि संवृद्धि का समर्थन करते हुए मुद्रास्फीति लक्ष्य के साथ संरेखित हो। परिणामस्वरूप, स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) दर 6.25 प्रतिशत तथा सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर और बैंक दर 6.75 प्रतिशत पर बनी हुई है।

संवृद्धि और मुद्रास्फीति के आकलन पर चर्चा करते हुए, गवर्नर ने कहा कि, वैश्विक अर्थव्यवस्था आघात-सहनीयता प्रदर्शित कर रही है और 2024 में इसके स्थिर संवृद्धि बनाए रखने की संभावना है, घरेलू अर्थव्यवस्था मजबूत गति का अनुभव कर रही है। दूसरे अग्रिम अनुमान (एसएई) के अनुसार, घरेलू मांग में उछाल के कारण 2023-24 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 7.6 प्रतिशत तक बढ़ गया और जनवरी-फरवरी 2024 के दौरान हेडलाइन मुद्रास्फीति कम होकर 5.1 प्रतिशत हो गई, जो दिसंबर में 5.7 प्रतिशत थी।

मौद्रिक नीति के लिए इन मुद्रास्फीति और संवृद्धि की स्थितियों का क्या अर्थ है?

गवर्नर ने कहा कि मुद्रास्फीति में उल्लेखनीय कमी आई है लेकिन यह 4 प्रतिशत के लक्ष्य से ऊपर बनी हुई है। खाद्य मुद्रास्फीति लगातार काफी अस्थिरता प्रदर्शित कर रही है जिससे चल रही अवस्फीति प्रक्रिया बाधित हो रही है। उच्च और निरंतर खाद्य मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं पर नियंत्रण, जो जारी है, को बिगाड़ सकती है। हमारा निरंतर प्रयास, नीतिगत कार्रवाइयों का पूर्ण संचरण और घरेलू मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं पर नियंत्रण सुनिश्चित करना है। 2024-25 के लिए हमारे जीडीपी अनुमानों के साथ मजबूत संवृद्धि गति, हमें मूल्य स्थिरता पर अटूट रूप से ध्यान केंद्रित करने के लिए नीतिगत अवधि प्रदान करती है।

चलनिधि और वित्तीय बाज़ार की स्थितियाँ

चलनिधि और वित्तीय बाज़ार की स्थिति के बारे में बोलते हुए, फरवरी के मौद्रिक नीति वक्तव्य में गवर्नर ने कहा था कि चलनिधि की स्थिति बाह्य कारकों से प्रेरित है, जो निकट भविष्य में सही होने की संभावना है। बढ़ते सरकारी व्यय, रिज़र्व बैंक के बाज़ार परिचालन और यूएसडी-आईएनआर बिक्री खरीद स्वैप नीलामी के रिटर्न-लेग के मद्देनजर फरवरी और मार्च के दौरान चलनिधि की स्थिति में सुधार हुआ।

वित्तीय स्थिरता

गवर्नर ने उल्लेख किया कि भारतीय बैंक और एनबीएफसी मजबूत पूंजी और आस्ति गुणवत्ता संकेतक प्रदर्शित कर रहे हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक, सार्वजनिक धन के उपयोग को देखते हुए अभिशासन और विनियामक अनुपालन पर जोर देता है। विनियमों को सरल बनाने के प्रयासों में, आरआरए 2.0 सिफारिशों को लागू करना, आंतरिक समीक्षा समूह बनाना और एक हजार से अधिक परिपत्रों को वापस लेना शामिल है। रिज़र्व बैंक उभरती वित्तीय गतिकी को ध्यान में रखते हुए विनियमन के लिए एक परामर्शी दृष्टिकोण बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।

बाह्य क्षेत्र

गवर्नर ने कहा कि सेवाओं के निर्यात में मजबूत संवृद्धि और मजबूत विप्रेषण के साथ पण्य व्यापार घाटे में कमी के कारण भारत का चालू खाता घाटा (सीएडी) काफी कम हो गया। 2023-24 की चौथी तिमाही में भारत का पण्य और सेवा निर्यात अच्छी गति से बढ़ा है। भारत विश्व में विप्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना हुआ है। विप्रेषण प्राप्त करने की लागत धीरे-धीरे कम हो रही है। कुल मिलाकर, 2024-25 के लिए सीएडी ऐसे स्तर पर बने रहने की आशा है जो व्यवहार्य और अत्यधिक प्रबंधनीय दोनों है।

इसके अलावा, गवर्नर ने अपने वक्तव्य के दौरान कतिपय अतिरिक्त उपायों की घोषणा की। अपने वक्तव्य का समापन करते हुए, गवर्नर ने कहा कि मुद्रास्फीति घट रही है और जीडीपी संवृद्धि दर में उछाल है। गवर्नर ने कहा कि, हमें अपनी सतर्कता कम नहीं करनी चाहिए बल्कि यह सुनिश्चित करने की दिशा में काम करना जारी रखना चाहिए कि मुद्रास्फीति टिकाऊ और स्थायी रूप से लक्ष्य के अनुरूप रहे। महात्मा गांधी के शब्दों का उल्लेख करते हुए गवर्नर ने कहा: "...व्यक्ति को दृढ़ रहना चाहिए और धैर्य रखना चाहिए। सफलता ऐसे प्रयास का अपरिहार्य परिणाम है। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

एमपीसी का संकल्प

वर्तमान और उभरती समष्टि-आर्थिक स्थिति के आकलन के आधार पर, मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने 5 अप्रैल 2024 को अपनी बैठक में यह निर्णय लिया है कि चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को 6.50 प्रतिशत पर यथावत् रखा जाए।

स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) दर 6.25 प्रतिशत तथा सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर और बैंक दर 6.75 प्रतिशत पर यथावत् बनी हुई है।

एमपीसी ने निभाव को वापस लेने पर ध्यान केंद्रित रखने का भी निर्णय लिया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मुद्रास्फीति संवृद्धि को समर्थन प्रदान करते हुए लक्ष्य के साथ संरेखित हो। ये निर्णय, संवृद्धि को समर्थन प्रदान करते हुए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति को +/- 2 प्रतिशत के दायरे में रखते हुए 4 प्रतिशत का मध्यावधि लक्ष्य प्राप्त करने के अनुरूप है। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य

यह वक्तव्य i) वित्तीय बाज़ार; ii) विनियमन; तथा iii) भुगतान प्रणाली और फिनटेक से संबंधित विभिन्न विकासात्मक और विनियामक नीतिगत उपाय निर्धारित करता है।

i) वित्तीय बाज़ार

1. आईएफएससी में सॉवरेन हरित बॉण्ड की ट्रेडिंग

वित्त वर्ष 2022-23 के केंद्रीय बजट में एक घोषणा के आधार पर, भारत सरकार ने जनवरी 2023 में सॉवरेन हरित बॉण्ड (एसजीआरबी) जारी किए थे। वित्त वर्ष 2023-24 में सरकारी उधार कैलेंडर के भाग के रूप में भी एसजीआरबी जारी किए गए थे। वर्तमान में, सेबी के साथ पंजीकृत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) को सरकारी प्रतिभूतियों में एफपीआई द्वारा निवेश के लिए उपलब्ध विभिन्न मार्गों के अंतर्गत एसजीआरबी में निवेश करने की अनुमति है। एसजीआरबी में व्यापक अनिवासी सहभागिता को सुविधाजनक बनाने की दृष्टि से, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी) में पात्र विदेशी निवेशकों को भी ऐसे बॉण्ड में निवेश करने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया है। सरकार और आईएफएससी प्राधिकरण के परामर्श से आईएफएससी में पात्र विदेशी निवेशकों द्वारा एसजीआरबी में निवेश और ट्रेडिंग के लिए एक योजना अलग से अधिसूचित की जा रही है।

2. आरबीआई रिटेल डायरेक्ट योजना - मोबाइल ऐप की शुरुआत

नवंबर 2021 में शुरू की गई आरबीआई रिटेल डायरेक्ट योजना, व्यक्तिगत निवेशकों को भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ गिल्ट खाते रखने और सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने की सुविधा प्रदान करती है। यह योजना निवेशकों को प्राथमिक नीलामी में प्रतिभूतियां खरीदने के साथ-साथ एनडीएस-ओएम प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रतिभूतियां खरीदने/ बेचने में सक्षम बनाती है। पहुँच में आसानी को और बेहतर बनाने के लिए, रिटेल डायरेक्ट पोर्टल का एक मोबाइल एप्लिकेशन विकसित किया जा रहा है। यह ऐप निवेशकों को अपनी सुविधानुसार,लिखतों को खरीदने और बेचने में सक्षम बनाएगा। यह ऐप शीघ्र ही उपयोग के लिए उपलब्ध होगा।

ii) विनियमन

3. एलसीआर ढांचे की समीक्षा

चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) ढांचे के अंतर्गत आने वाले बैंकों को अगले 30 कैलेंडर दिनों में अपेक्षित निवल नकदी बहिर्वाह को शामिल करने के लिए उच्च गुणवत्ता वाली अर्थसुलभ आस्तियों (एचक्यूएलए) का स्टॉक बनाए रखना आवश्यक है। तथापि, हाल के प्रकरणों में कतिपय क्षेत्रों में जमाकर्ताओं द्वारा दबाव के समय में डिजिटल बैंकिंग चैनलों का उपयोग करके जमाराशि के त्वरित आहरण या अंतरित करने की बढ़ी हुई क्षमता देखी गई है। ऐसे उभरते जोखिमों के लिए एलसीआर ढांचे के अंतर्गत कतिपय धारणाओं पर पुनः ध्यान देने की आवश्यकता हो सकती है। अतः, बैंकों द्वारा चलनिधि जोखिम के बेहतर प्रबंधन की सुविधा के लिए एलसीआर ढांचे में कतिपय संशोधन प्रस्तावित किए जा रहे हैं। इस संबंध में सभी हितधारकों की टिप्पणियों के लिए एक मसौदा परिपत्र शीघ्र ही जारी किया जाएगा।

4. रुपया ब्याज दर डेरिवेटिव उत्पादों में लेनदेन - लघु वित्त बैंक

मौजूदा दिशानिर्देश लघु वित्त बैंकों (एसएफबी) को स्वपूंजी की हेजिंग के उद्देश्य से केवल ब्याज दर वायदा (आईआरएफ) का उपयोग करने की अनुमति देते हैं। एसएफबी को अपने तुलन-पत्र और वाणिज्यिक परिचालन में ब्याज दर जोखिम से हेजिंग के लिए उपलब्ध अवसरों को अधिक प्रभावी ढंग से विस्तारित करने के साथ-साथ उन्हें अधिक लचीलापन प्रदान करने की दृष्टि से, अब उन्हें रुपया ब्याज दर डेरिवेटिव (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2019 के संदर्भ में अनुमेय रुपया ब्याज डेरिवेटिव उत्पाद में लेनदेन करने की अनुमति प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में परिपत्र शीघ्र ही जारी किया जाएगा।

iii) भुगतान प्रणाली और फिनटेक

5. नकदी जमा सुविधा के लिए यूपीआई को सक्षम करना

बैंकों द्वारा नियोजित नकदी जमा मशीनें (सीडीएम), बैंक शाखाओं पर नकदी-प्रबंधन भार को कम करते हुए ग्राहक सुविधा को बढ़ाती हैं। नकदी जमा की सुविधा वर्तमान में केवल डेबिट कार्ड के उपयोग के माध्यम से उपलब्ध है। यूपीआई की लोकप्रियता और स्वीकार्यता को देखते हुए, साथ ही एटीएम पर कार्ड-रहित नकदी निकासी के लिए यूपीआई की उपलब्धता से देखे गए लाभों को देखते हुए, अब यूपीआई के उपयोग के माध्यम से नकदी जमा सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव है। परिचालन संबंधी निर्देश शीघ्र ही जारी किए जाएंगे।

6. तृतीय-पक्ष एप्लिकेशन के माध्यम से प्रिपैड पेमेंट लिखत (पीपीआई) के लिए यूपीआई एक्सेस

वर्तमान में, बैंक खातों से यूपीआई भुगतान, बैंक के यूपीआई ऐप के माध्यम से बैंक खाते को लिंक करके या किसी तृतीय पक्ष के यूपीआई एप्लिकेशन का उपयोग करके किया जा सकता है। तथापि, पीपीआई के लिए यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। वर्तमान में केवल पीपीआई जारीकर्ता द्वारा प्रदान किए गए एप्लिकेशन का उपयोग करके यूपीआई लेनदेन करने के लिए पीपीआई का उपयोग किया जा सकता है। पीपीआई धारकों को अधिक लचीलापन प्रदान करने के लिए, अब तृतीय पक्ष के यूपीआई एप्लिकेशनों के माध्यम से पीपीआई को लिंक करने की अनुमति देने का प्रस्ताव है। इससे पीपीआई धारक, बैंक खाताधारकों की तरह यूपीआई भुगतान करने में सक्षम होंगे। इस संबंध में शीघ्र ही निर्देश जारी किये जायेंगे।

7. गैर-बैंक भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों के माध्यम से सीबीडीसी का वितरण

अधिक उपयोग मामलों और अधिक सहभागी बैंकों के साथ खुदरा और थोक क्षेत्रों में सीबीडीसी पायलट जारी है। इस दृष्टिकोण को जारी रखते हुए, गैर-बैंक भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों को सीबीडीसी वॉलेट को प्रदान करने में सक्षम बनाकर, सीबीडीसी-रिटेल को उपयोगकर्ताओं के व्यापक वर्ग के लिए धारणीय तरीके से सुलभ बनाने का प्रस्ताव है। इससे बहु-चैनल लेनदेन को संभालने के लिए सीबीडीसी प्लेटफॉर्म की आघात सहनीयता के परीक्षण के अतिरिक्त उपयोगकर्ताओं के लिए एक्सेस बढ़ने और विकल्पों के विस्तार की आशा है। इसे सुविधाजनक बनाने के लिए प्रणाली में आवश्यक बदलाव किए जाएंगे।

एमपीसी का कार्यवृत्त

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45ज़ेडबी के अंतर्गत गठित मौद्रिक नीति समिति की 48वीं बैठक 3 से 5 अप्रैल 2024 के दौरान आयोजित की गई थी।

तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक ने अधिनियम, 1934 की धारा 45ज़ेडएल के अंतर्गत, रिज़र्व बैंक ने 19 अप्रैल 2024 को, अर्थात् एमपीसी की बैठक के 14वें दिन बैठक की कार्यवाही का विवरण प्रकाशित किया।

एमपीसी ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उपभोक्ता विश्वास, परिवारों की मुद्रास्फीति प्रत्याशा, कॉर्पोरेट क्षेत्र के प्रदर्शन, ऋण की स्थिति, तीन क्षेत्रों की संभावनाएं और पेशेवर पूर्वानुमानकर्ताओं के अनुमानों का आकलन करने के लिए किए गए सर्वेक्षणों की समीक्षा की। एमपीसी ने इन संभावनाओं के विभिन्न जोखिमों के इर्द-गिर्द स्टाफ के समष्टि आर्थिक अनुमानों और वैकल्पिक परिदृश्यों की विस्तृत रूप से भी समीक्षा की। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

II. विनियमन

भारतीय रिज़र्व बैंक (आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी) निदेश, 2024

रिज़र्व बैंक ने एआरसी को विनियमित करने के लिए मास्टर निदेश- भारतीय रिज़र्व बैंक (आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी) निदेश, 2024 जारी किया है। एआरसी तनावग्रस्त वित्तीय आस्तियों के समाधान, वित्तीय प्रणाली की स्थिति में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन निदेशों का उद्देश्य एआरसी की विवेकपूर्ण और कुशल कार्यप्रणाली सुनिश्चित करना और निवेशक के हितों की रक्षा करना है। वे वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की शक्तियों के अंतर्गत जारी किए जाते हैं। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

अनधिकृत विदेशी मुद्रा लेनदेन

रिज़र्व बैंक ने 24 अप्रैल 2024 को एडी-I बैंकों को अनधिकृत विदेशी मुद्रा लेनदेन के बारे में सतर्क रहने का निर्देश दिया। आरबीआई को अनधिकृत संस्थाओं द्वारा भारतीय निवासियों को उच्च रिटर्न का वादा करते हुए विदेशी मुद्रा व्यापार सुविधाएं प्रदान करने के उदाहरण मिले हैं। ये संस्थाएं धन संग्रह हेतु कई बैंक शाखाओं में खाते खोलने के लिए स्थानीय एजेंटों को नियुक्त करती हैं। खाते व्यक्तियों या ट्रेडिंग फर्मों के नाम पर होते हैं, जिनमें लेनदेन अक्सर बताए गए उद्देश्य के अनुरूप नहीं होते हैं। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

ऋण एवं अग्रिम के लिए मुख्य तथ्य विवरण (केएफएस)

आरबीआई ने 15 अप्रैल 2024 को वित्तीय उत्पादों की पारदर्शिता में सुधार के लिए मुख्य तथ्य विवरण (केएफएस) और वार्षिक प्रतिशत दर (एपीआर) पर निर्देशों में सामंजस्य स्थापित किया है जो विनियमित संस्थाओं (आरई) द्वारा प्रदत्त खुदरा और एमएसएमई मियादी ऋण उत्पादों पर लागू होंगे। संभावित उधारकर्ताओं को प्रदान किए जाने वाले केएफएस में एक मानकीकृत प्रारूप में ऋण संबंधी आवश्यक विवरण होते हैं, जिसमें एक विशिष्ट प्रस्ताव संख्या, वैधता अवधि, एपीआर गणना और ऋण परिशोधन अनुसूची शामिल होते हैं। तीसरे पक्ष की सेवाओं के लिए उधारकर्ताओं से आरई द्वारा वसूले गए शुल्क एपीआर का हिस्सा हैं और इसका प्रकटीकरण अवश्य किया जाना चाहिए। ऐसी कोई भी शुल्क उधारकर्ता की सहमति के बिना नहीं लिया जा सकता है, जिसका उललेखा केएफ़एस में न किया गया हो। ये दिशानिर्देश क्रेडिट कार्ड प्राप्य के लिए छूट के साथ 1 अक्तूबर 2024 को या उसके बाद स्वीकृत नए ऋणों के लिए प्रभावी होंगे। इन निर्देशों से संबंधित विधिक प्रावधान विभिन्न बैंककारी अधिनियमों के अंतर्गत आते हैं। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

ऋणदाताओं के लिए उचित आचरण संहिता

रिज़र्व बैंक ने 29 अप्रैल 2024 को सभी आरई को निर्देश दिया कि वे ऋण संवितरण की पद्धति, ब्याज और अन्य शुल्कों लगाने से संबंधित अपनी पद्धतियों की समीक्षा करें और अनुचित ब्याज लगाने संबंधी प्रणालियों, जिसमें संवितरण तिथि के बजाय मंजूरी/ करार की तारीख से ब्याज वसूलना शामिल है, को दूर करने के लिए सिस्टम स्तर पर बदलाव, जो आवश्यक हो, सहित सुधारात्मक कार्रवाई करें। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

विदेशी बाज़ारों में स्वर्ण की कीमत के जोखिम की हेजिंग

रिज़र्व बैंक ने 15 अप्रैल 2024 को घोषणा की है कि निवासी संस्थाएं अब 08 फरवरी 2024 के विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य और विदेशी मुद्रा प्रबंधन पर 2022 के मास्टर निदेश के अनुसार, आईएफएससी एक्सचेंजों पर डेरिवेटिव के साथ-साथ ओटीसी डेरिवेटिव का उपयोग करके अपने स्वर्ण की कीमत के जोखिम को हेज कर सकती हैं। ये अनुदेश तुरंत प्रभावी हैं और अन्य आवश्यक अनुमतियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 की धारा 10(4) और 11(1) के अंतर्गत जारी किए जाते हैं। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

लघु वित्त बैंकों को 'ऑन टैप' लाइसेंसीकरण के लिए दिशानिर्देश

रिज़र्व बैंक को सर्वव्यापी बैंकों और लघु वित्त बैंकों के 'ऑन-टैप' लाइसेंसीकरण संबंधी दिशानिर्देशों के अंतर्गत बैंक लाइसेंस के लिए 13 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से नौ आवेदनों पर लिए गए निर्णय की घोषणा की गई है। तथापि, द्वार क्षेत्रीय ग्रामीण फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और टैली सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को लघु वित्त बैंक स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान करने हेतु अनुपयुक्त माना गया। दो अन्य आवेदनों की जांच पूरी हो चुकी है, शेष दो का मूल्यांकन अभी भी चल रहा है। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

प्रति-चक्रीय पूंजी की आवश्यकता

सीसीवाईबी संकेतकों की समीक्षा और अनुभवजन्य विश्लेषण के बाद, रिज़र्व बैंक ने 23 अप्रैल 2024 को इस समय प्रति-चक्रीय पूंजी बफर (सीसीवाईबी) को सक्रिय नहीं करने का निर्णय लिया है। 5 फरवरी 2015 को स्थापित ढांचा, प्राथमिक संकेतक के रूप में जीडीपी की तुलना में ऋण अंतर के साथ, संभवतः अन्य द्वारा पूरक, आवश्यकता पड़ने पर सीसीवाईबी को सक्रिय करने की सलाह देता है। यह निर्णय इंगित करता है कि वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों में सीसीवाईबी सक्रियण की आवश्यकता नहीं है। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

रुपया ब्याज दर व्युत्पन्न उत्पादों में संव्यवहार- एसएफबी

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 24 अप्रैल 2024 को अनुमत रुपया ब्याज दर व्युत्पन्न उत्पादों को शामिल करने के लिए अपने विकल्पों का विस्तार किया है। यह परिवर्तन एसएफबी को रुपया ब्याज दर डेरिवेटिव (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2019 के अनुरूप ब्याज दर जोखिम को अधिक प्रभावी ढंग से हेज करने की अनुमति देता है। इस निर्णय का उद्देश्य जोखिम प्रबंधन क्षमताओं को बढ़ाना और ब्याज दर जोखिम के प्रबंधन में एसएफबी को अधिक लचीलापन प्रदान करना है। यह बाजार की उभरती जरूरतों के लिए नियामक ढांचे को अनुकूलित करने के रिज़र्व बैंक के प्रयासों के अनुरूप है। यह गतिविधि 2024-25 के लिए द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य के पैराग्राफ 4 और 'लघु वित्त बैंकों के लिए परिचालन संबंधी दिशानिर्देशों' के पैराग्राफ 1.10 में उल्लिखित है। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

उत्तरी क्षेत्र के चुनिंदा यूसीबी के निदेशकों का सम्मेलन

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 6 अप्रैल 2024 को लखनऊ में उत्तरी क्षेत्र के चुनिंदा यूसीबी के निदेशकों का एक सम्मेलन आयोजित किया। सम्मेलन का विषय 'यूसीबी में अभिशासन: जोखिम प्रबंधन, अनुपालन और लेखापरीक्षा' था। श्री एम. राजेश्वर राव, उप गवर्नर ने अपने मुख्य भाषण में, विशेष रूप से बैंक रहित लोगों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने में यूसीबी द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने सुदृढ़ बैंकिंग परिचालन सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत और व्यापक जोखिम प्रबंधन ढांचे के महत्व पर जोर दिया। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

उप गवर्नर की पुनर्नियुक्ति

श्री टी. रबी शंकर को भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर के रूप में पुनः नियुक्त किया गया। केंद्र सरकार ने 24 अप्रैल 2024 को भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर के रूप में श्री टी. रबी शंकर का कार्यकाल 03 मई 2024 से एक वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, बढ़ा दिया। इससे पहले, श्री शंकर को मई 2021 में तीन वर्ष की अवधि के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया था।

परिचालन संबंधी जोखिम प्रबंधन पर मार्गदर्शन नोट

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 30 अप्रैल 2024 को बैंकिंग पर्यवेक्षण सिद्धांतों पर बासेल समिति के साथ संरेखित करते हुए "परिचालन संबंधी जोखिम प्रबंधन और परिचालनगत आघात-सहनीयता पर मार्गदर्शन नोट" प्रकाशित किया है। यह नोट परिचालनगत आघात-सहनीयता सहित वैश्विक सर्वोत्तम पद्धतियों को एकीकृत करता है। उपलब्ध करवाई गई प्रणालियाँ, प्रक्रियाएँ और उपकरण सांकेतिक हैं और उन्हें प्रासंगिक आरबीआई निदेशों द्वारा पूरक किया जाना चाहिए। 14 अक्तूबर 2005 का पिछला "परिचालन संबंधी जोखिम प्रबंधन पर मार्गदर्शन नोट" अब हटा दिया गया है। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

एसएफबी का सर्वव्यापी बैंकों में स्वैच्छिक परिवर्तन

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने न्यूनतम निवल मालियत (नेटवर्थ) ₹1,000 करोड़ की आवश्यकता, मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर शेयरों की लिस्टिंग, और लाभप्रदता एवं परिसंपत्ति गुणवत्ता का ट्रैक रिकॉर्ड जैसे कुछ शर्तों के अधीन 26 अप्रैल 2024 को लघु वित्त बैंकों (एसएफ़बी) का सर्वव्यापी बैंकों में परिवर्तन के लिए दिशानिर्देश प्रकाशित किए हैं। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

III. भुगतान और निपटान प्रणाली

भुगतान एग्रीगेटर्स (पीए) का विनियमन – निदेश का मसौदा

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान एग्रीगेटर्स (पीए) के विनियमन के संबंध में सार्वजनिक समीक्षा के लिए दो मसौदा निदेश प्रकाशित किए हैं। जैसा कि पहले घोषित किया गया था, पहला मसौदा पीए की भौतिक प्वाइंट-ऑफ-सेल गतिविधियों को विनियमित करने पर केंद्रित है, जबकि दूसरा मसौदा पीए पर मौजूदा विनियमों में संशोधन का प्रस्ताव करता है ताकि केवाईसी, व्यापारियों की उचित जांच और एस्क्रो खातों में संचालन जैसे पहलू सहित उभरते डिजिटल लेनदेन परिदृश्य को समायोजित किया जा सके। इच्छुक पार्टियों को 31 मई 2024 तक भारतीय रिज़र्व बैंक के मुंबई स्थित केंद्रीय कार्यालय में निर्दिष्ट पते पर ईमेल या पोस्ट के माध्यम से टिप्पणियाँ या फीडबैक प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया यहां क्लिक करें।

IV. पर्यवेक्षण

कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के विरुद्ध कार्रवाई

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 24 अप्रैल 2024 को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड (इसके बाद 'बैंक' के रूप में संदर्भित) को तत्काल प्रभाव से (i) अपने ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग चैनलों के माध्यम से नए ग्राहकों को शामिल करना और (ii) नए क्रेडिट कार्ड जारी करना, को बंद करने और रोकने का निदेश दिया। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

V. मुद्रा जारीकर्ता

₹2000 मूल्यवर्ग के बैंक नोटों को वापस लेना

रिज़र्व बैंक ने 2 मई 2024 को ₹2000 मूल्य वर्ग के बैंक नोटों को वापस लेने की स्थिति जारी की। आंकड़ों के अनुसार, 30 अप्रैल 2024 को कारोबार की समाप्ति पर संचलन में ₹2000 के बैंक नोटों का कुल मूल्य घटकर ₹ 7961 करोड़ हो गया। इस प्रकार, 19 मई 2023 तक संचलन में ₹2000 के बैंक नोटों का 97.76% प्रतिशत वापस आ गया था। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

VI. प्रकाशन

आरबीआई बुलेटिन

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 23 अप्रैल 2024 को अपने मासिक बुलेटिन का अप्रैल 2024 अंक जारी किया। बुलेटिन में 5 अप्रैल 2024 का मौद्रिक नीति वक्तव्य, पाँच भाषण, छह आलेख और वर्तमान आंकड़े शामिल हैं:

i) अर्थव्यवस्था की स्थिति;
ii) भारत के सेवा निर्यात को क्या संचालित करता है?;
iii) खाद्य और ईंधन की कीमतें: भारत में हेडलाइन मुद्रास्फीति पर दूसरे दौर के प्रभाव;
iv) उच्च अस्थिरता वाले प्रकरणों में भारत की विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि- एक अनुभवजन्य मूल्यांकन;
v) विनियामक संचार की भाषाई जटिलता का आकलन: भारत के लिए एक मामला अध्ययन;
vi) सर्वेक्षणों के लिए परोक्ष निगरानी प्रणाली (ओएमओएसवाईएस): गुणवत्ता आश्वासन के लिए एक भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) आधारित दृष्टिकोण।

विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

VII. जारी आंकड़े

अप्रैल 2024 माह के दौरान रिज़र्व बैंक द्वारा जारी महत्वपूर्ण आंकड़े निम्नानुसार हैं:

क्रम सं	शीर्षक
1	शुक्रवार, 19 अप्रैल, 2024 को भारत में अनुसूचित बैंकों की स्थिति का विवरण
2	फरवरी 2024 के लिए ईसीबी/एफसीसीबी/आरडीबी पर डेटा
3	2023-24 की चौथी तिमाही के लिए विनिर्माण क्षेत्र का औद्योगिक संभावना सर्वेक्षण
4	मार्च 2024 के लिए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश
5	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की उधार और जमा दरें - अप्रैल 2024
6	उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण- मार्च 2024
7	समष्टिआर्थिक संकेतकों पर पेशेवर पूर्वानुमानकर्ताओं का सर्वेक्षण - 87वें दौर के परिणाम
8	2023-24 की चौथी तिमाही के लिए बैंक ऋण सर्वेक्षण

योगेश दयाल द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, मुंबई - 400 001 के लिए संपादित और प्रकाशित। मोनेटरी एंड क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रीव्यू https://mcir.rbi.org.in पर उपलब्ध है।